संख्या-25/2026/बी-1-1614/दस-2026

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 02 सितम्बर, 2026**

विषयः डी.डी.ओ. कोड आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत SNA-SPARSH के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा / वीबी-जी राम जी योजना के सञ्चालन हेतु प्रदेश के जनपदों में विभागीय अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, SNA-SPARSH के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा /वीबी-जी राम जी योजना के सञ्चालन हेतु प्रदेश के उन जनपदों, जहाँ उपायुक्त (श्रम रोजगार) के पद सृजित हैं, में उपायुक्त (श्रम रोजगार) को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करने तथा जिन जनपदों मे उपायुक्त (श्रम रोजगार) के पद सृजित नहीं हैं, उन जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा नामित ग्राम्य विकास विभाग के श्रेणी-1 के अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करने तथा इस हेतु उन्हें डी.डी.ओ. कोड संख्या-2260 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं।

उपरोक्त आवंटित डी.डी.ओ. कोड संख्या-2260 केवल SNA-SPARSH के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा / वीबी-जी राम जी योजना के सञ्चालन सम्बन्धी आहरण एवं वितरण कार्य हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-25/2026/बी-1-1614-(1)-दस-2026, तद्दिनांक

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. ग्राम्य विकास अनुभाग-7.
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2.
9. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।